



(₹ करोड़ में)

## 31-03-17 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणामों का सार

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित	
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष	
		31-03-17	31-03-16	31-03-17	31-03-16	31-03-17	31-03-16
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	5,793.97	6,064.14	23,350.79	23,638.35	23,945.16	24,012.88
2.	अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व, अपवादात्मक एवं असाधारण मदों)	1,887.41	1,772.69	8,860.70	8,045.21	8,972.36	8,146.66
3.	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पश्चात)	1,887.41	1,772.69	8,860.70	8,045.21	8,972.36	8,146.66
4.	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पश्चात)	1,319.23	1,160.03	6,245.76	5,627.66	6,313.37	5,691.42
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ सहित (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	1,974.92	987.46	1,974.92	987.46	1,974.92	987.46
7.	आरक्षित एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निकालकर) (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 31 मार्च की यथास्थिति)			31,350.67	27,630.30	31,695.64	27,905.94
8.	अर्जन प्रति शेयर (₹10 प्रति) (आगे जारी रहने वाले एवं बंद हो चुके प्रचालनों के लिए) (₹ में)						
	मूल	6.68	5.87	31.63	28.50	31.97	28.82
	मिश्रित	6.68	5.87	31.63	28.50	31.97	28.82

### टिप्पणियाँ:

- 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी, और 01 अप्रैल, 2016 से लागू 'व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखाकरण के लिए दिशानिर्देश टिप्पणी', के अनुरूप कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों के लेखाकरण के लिए लेखाकरण नीति को संशोधित कर दिया था। दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार, ₹ 45.92 करोड़ के करों के निर्धारण के पश्चात ₹ 86.75 करोड़ रुपए की राशि को आरक्षित धन के प्रारंभिक शेष में समायोजित कर दिया है, जो 31 मार्च, 2016 तक ब्याज दर स्वेप के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। इसके अलावा, ₹ -2.26 करोड़ तथा ₹ 324.77 करोड़ की ब्याज दर स्वेप पर अर्जित उचित मूल्य को संशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के लिए बुक कर दिया गया है।  
इसके अलावा, हेज्ड ऋणों तथा तदनुसूची व्युत्पन्न अनुबंधों पर विदेशी मुद्रा विनियम अंतर्गत के उपचार पर लेखाकरण नीति को भी संशोधित किया गया है ताकि उसे लेखाकरण मानक-11 के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों पर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव हानि/(लाभ) का ऋण चुकता करने हेतु विद्यमान लेखाकरण नीति के अनुरूप बनाया जा सके। इस परिवर्तन के प्रभाव, पिछले वर्ष से संबंधित विदेशी मुद्रा विनियम उतार-चढ़ाव हानि ने 29.79 करोड़ तथा चालू तिमाही एवं वर्ष से संबंधित विदेशी मुद्रा विनियम उतार-चढ़ाव लाभ क्रमशः ₹ 1.65 करोड़ तथा ₹ 6.69 करोड़ को 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय लागत में समायोजित कर दिया गया है।  
लेखाकरण नीतियों में हुए इन परिवर्तनों के कारण कर पूर्व लाभ क्रमशः तिमाही के लिए ₹ 0.61 करोड़ कम एवं, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 301.67 करोड़ अधिक है।
- जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, कंपनी वित्त वर्ष 2018-19 से भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड-एएस) को लागू करेगी। तदनुसार, उपरोक्त 'अन्य व्यापक आय' के संबंध में उपरोक्त को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इस शब्दावली को केवल भारतीय-लेखाकरण मानक के तहत परिभाषित किया गया है।
- कंपनी ने फरवरी 2017 के महीने में ₹ 7/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 2.65 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल लाभांश (अंतिम लाभांश सहित) ₹ 9.65 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) है।  
पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्व-संशोधित लेखाकरण मानक 4 'तुलन पत्र की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताओं एवं घटनाओं' की अपेक्षाओं के अनुरूप निदेशक मण्डल द्वारा घोषित लाभांश के लिए एक प्रावधान बनाया था। तथापि, संशोधित लेखाकरण मानक 4 की अपेक्षाओं के अनुरूप जैसा कि कंपनी (लेखाकरण मानक) संशोधन नियम 2016, द्वारा संशोधन किया गया था, कंपनी को 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, उक्त लाभांश के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि कंपनी ने प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान जारी रखा होता तो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार 'आरक्षितियाँ तथा अधिशेष' ₹ 629.89 करोड़ कम हो जातीं तथा 'अल्प कालिक प्रावधान' इतना ही (लाभांश वितरण कर ₹ 106.54 करोड़ सहित) अधिक हो जाता।
- शेयर धारकों के अनुमोदन के अनुसरण में, कंपनी ने 30 सितंबर, 2016 को, प्रत्येक ₹ 10/- के विद्यमान एक इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक ₹ 10/- के एक इक्विटी शेयर के अनुपात से बोनस शेयर आवंटित किया है। तदनुसार, प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (मूल और मिश्रित) को लेखाकरण मानक 20 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गयी पूर्व अवधि के लिए फिर से प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्त जानकारी, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्ति का एक सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्राप्ति स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) तथा [www.nse-india.com](http://www.nse-india.com)) एवं कंपनी की वेबसाइट ([www.recindia.com](http://www.recindia.com)) पर भी उपलब्ध है।

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
ह/-

पी. वी. रमेश

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
सीआईएन - 02836069

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2017

## रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-43091500  
फैक्स: 011-24360644, वेबसाइट: [www.recindia.com](http://www.recindia.com) सीआईएन: L40101DL1969GOI005095